



2026:AHC:41699-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
विशेष अपील संख्या-615/2014

सी/एम जानोदय शिक्षा समिति और अन्य

.....अपीलकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता: सत्येंद्र पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सुधांशु श्रीवास्तव(एसीएससी), एमके सिंह, सुनील कुमार सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंशाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. यह अपील 08.12.2025 को इस उच्च न्यायालय में सबसे पुराने लंबित मामलें, प्राथमिकता सुनवाई के लिए शीर्षक के तहत न्यायालय के समक्ष सुचीबद्ध की गयी थी, जब कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अपीलकर्ताओं के समक्ष, रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया था कि वह अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता को आदेश की वेबसाइट प्रति सुचित करें। यह स्पष्ट किया गया था कि यदि अपीलकर्ता स्थगित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो अपील निरस्त कर दी जाएगी।
2. कार्यालय ने अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता को ई-मेल के माध्यम से आदेश की प्रति भेज दी है।
3. नोटिस के बावजूद, अपीलकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के कारण, अपीलकर्ताओं ने अपील में रुचि खो दी है। अतः, इसे कार्यवाही न करने के कारण निरस्त कर दिया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंशाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

24 फरवरी, 2026

एसएल/एएचए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”